Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN: 2581-6241 Volume - 4, Issue - 6, June - 2021
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 3.871
Received on : 16/06/2021 Accepted on : 28/06/2021 Publication Date: 30/06/2021

स्वतंत्र भारत का भाषाई परिवेश

डॉ .रोहित कुमार
सहायक प्रोफेसर, हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखंड.
Email - drrohitkumardu@outlook.com / drrohitkumarhnbgu@gmail.com

सारांश: भारत जैसे बहुभाषिक देश में भाषा संबंधी निर्णय लेना कठिन कार्य रहा है | स्वतंत्रता से पूर्व और उसके पश्चात् के भाषाई परिवेश में बहुत अंतर था | इस लेख में उन्हीं स्थितियों की पड़ताल करने का प्रयास किया गया है जिसने आजादी के बाद हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओँ के बीच के संबंधों और अवसरों को राजभाषा की भूमिका में तय किया है | भाषा का सवाल सदैव रोजगार का सवाल होता है और इसी सवाल ने आजाद भारत के भाषाई परिवेश को सर्वाधिक प्रभावित भी किया है |

प्रमुख शब्द: राजभाषा, राष्ट्रभाषा, भाषाई परिवेश, हिंदी की स्थिति, त्रिभाषा सूत्र |

1. प्रस्तावना:

1857की क्रांति ने आम भारतवासियों के मन में अंग्रेजों के प्रति विरोध की भावना पैदा कर दी थी | इस विरोध की भाषा क्या रही होगी ? अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्तर भारत के सैनिक, सामंत और किसान आदि वर्ग खड़ीबोली, भोजपुरी , बुन्देली और अवधी बोली-बानी के रूप में' हिंदी' ही प्रयोग कर रहे होंगें | उनके संघर्ष और क्रांति का स्वर हिंदी ही रहा होगा | 19वीं सदी के इस संघर्ष का स्वर भले ही दबा दिया गया हो किन्तु समाज सुधारकों और विद्वानों में हिंदी के प्रति आशा साफ़ दिखाई देने लगी थी | धीरे-धीरे ही सही20 वीं सदी के आरंभ तक आते-आते विरोध और पहचान का स्वर राष्ट्रीय आन्दोलन के स्वर में विकसित हो उठता है| ठीक यहीं आकर भाषा का परिवेश राष्ट्रीय चेतना और अस्मिता का सवाल बन जाता है | यह सवाल था कि अखिल भारतीय स्तर पर कौन-सी भाषा' सार्वदेशिक भाषा' की भूमिका निभा सकती है? इसका उत्तर हिंदी ही स्वीकार किया गया | लगभग इसी परिवेश में भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करने का विचार भी पनपने लगा | यह रोचक तथ्य है कि यह विचार अहिंदीभाषी क्षेत्र से आया | गाँधी जी ने 18 अगस्त ,1906 को' इंडियन ओपिनियन' नामक अपनी पत्रिका में 'इंडियन वर्ल्ड 'नामक पत्रिका के संपादक का हवाला देते हुए लिखा था -"जब तक भारत के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले भारतियों में से ज्यादातर लोग एक ही भाषा नहीं बोलने लगते ,तब तक वास्तविक रूप से भारत एक राष्ट्र नहीं बन सकता [i]"| दक्षिण अफ्रीका के परिवेश में ही उन्होंने भारतीय भाषाओँ ,विशेषकर हिंदी ,के महत्व को अनुभव कर लिया था | देश की जनता का संघर्ष देश की जनता की भाषा में लड़ा जाने वाला था | 19 वीं सदी में हिंदी का संघर्ष जहाँ अदालती और शिक्षा की भाषा बनने के लिए था वहीँ 20वीं सदी में हिंदी पहले' राष्ट्रभाषा 'और फिर' राजभाषा' बनने के रास्ते पर चल पड़ी थी |

2. आजादी से पूर्व:

जुलाई, 1917से हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार का कार्य आरंभ हुआ जो 1921 आते-आते असहयोग आन्दोलन के बाद राष्ट्रीय आन्दोलनों का एक अनिवार्य अंश बन गया था| ऐसा नहीं था कि समस्या केवल अंग्रेजी थी बल्कि हिंदी और हिन्दुस्तानी शैली की भी थी | गाँधी जी हिन्दुस्तानी के समर्थक थे जिसे उन्होंने आम आदमी के समझ में आने वाली भाषा कहते हुए न उसे हिंदी कहा न ही उर्दू माना | आजादी मिलने से पूर्व गाँधी जी के सामने भारत के भाषाई परिवेश की स्पष्ट तस्वीर थी | यही कारण था कि गाँधी जी के समन्वयवादी विचारों के कारण हिन्दुस्तानी या शुद्ध हिंदी की रस्साकशी आजादी तक चलती रही | बाद में विभाजन की परिस्थितियों ने' हिन्दुस्तानी 'की आवश्यकता लगभग स्वतः ही समाप्त कर दी थी और यहाँ आकर हिंदी-हिन्दुस्तानी के संघर्ष का अंत हो गया |

दूसरी ओर यह भी मानना गलत होगा कि आजादी के पूर्व हिंदी को लेकर अन्य भारतीय भाषाओँ में रोष नहीं था | हिंदी के विरोध में कई छोटे-छोटे आन्दोलन हो रहे थे लेकिन स्थिति यह थी कि गाँधी जी के व्यक्तित्व और स्वाधीनता के वृहद् सपने के सामने विरोध ठहर नहीं पाता था | यही वह दौर भी था जब धीरे-धीरे अंग्रेजी भारत के भाषाई परिवेश में अपनी अनिवार्यता को ठोस रूप दे रही थी| स्वतंत्रता के समय गाँधी जी का यह सन्देश देना तत्कालीन भाषाई समय की चुनौती का संकेत देता है| जब भारत के स्वतंत्र होने पर एक ब्रिटिश पत्रकार ने गांधीजी से सन्देश मांगा तब गांधीजी ने तुरंत कह दिया था" -दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी भूल गया |[ii]"गांधी जी सहित कई नेताओं में यह स्पष्ट भविष्य का सपना था कि अंग्रेजों के साथ-साथ हमें अंग्रेजी भाषा से भी स्वतंत्र होना होगा | जनवरी ,1946 में एक सार्वजानिक सभा में उन्होंने कहा कि" कुछ समय के बाद हिंदुस्तान आजाद होगा और आजाद हिंदुस्तान की राजभाषा हिंदी होगी | इसलिए मैं युवा पीढ़ी से अपील करता हूँ कि वे अभी से हिंदी सीखना शुरू करें और देश के आजाद होते ही शासन के समस्त कार्यकलाप हिंदी में संपन्न करें ताकि अंग्रेजी का वर्चस्व अपने आप समाप्त हो

जाए | [iii]"यह स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि विरोध के स्वर होते हुए भी भारत के भाषाई परिवेश में 1906 से आजादी मिलने तक' हिंदी की राष्ट्रीय छवि 'ही केंद्र में रही और इस छवि की रेखाएं स्वत्रंत्रता आन्दोलन ने उकेरी थीं |

3. आजाद भारत और राजभाषा का प्रस्थान बिंदु :

आजाद भारत के भाषाई परिवेश में हिंदी बनाम अंग्रेजी और हिंदी बनाम अन्य भाषाओँ का संघर्ष भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में जारी रहा | एक तरफ अंग्रेजी का प्रशासनिक अनुभव और एकाधिकार से उत्पन्न छुपा हुआ अंग्रेजी प्रेम हिंदी की कमजोर छवि को उकेर रहा था तो दूसरी ओर न चाहते हुए भी राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया था जिसके कारण भाषाई अस्मिता के सवालों ने भाषाई दीवारों को और भी ऊँचा और मजबूत बना दिया था | इस परिवेश में राजभाषा हिंदी का मार्ग सरल होने वाला नहीं था|

संविधान सभा में सबसे विवादस्पद विषयों में से एक भाषा है | संविधान सभा के सदस्य अलग-अलग भाषाभाषी क्षेत्रों से संबंधित थे | भारत में संविधान का प्रारूप अंग्रेज़ी में बना, संविधान की बहस अधिकांशतः अंग्रेज़ी में ही हुई। सभा की बहसों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि हिंदी के अधिकांश समर्थक भी अंग्रेज़ी भाषा में ही बोल रहे थे । संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ . राजेंद्र प्रसाद ने अंग्रेज़ी में ही भाषण दिया | परन्तु ऐसे परिवेश में भी संविधान में राजभाषा के रूप में अंग्रेज़ी के स्थान पर हमने एक भारतीय भाषा -हिंदी को अपनाया । यह हमारे लिए गर्व का विषय है | संविधान में अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी स्वीकार की गई | लेकिन यह अनुभव किया गया कि राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग अभी संभव नहीं है इसलिए अनुच्छेद 343 में अंग्रेजी को अगले 15 वर्षों के लिए शासकीय कार्यों के लिए स्वीकार कर लिया गया | यह माना गया कि इन वर्षों में हिंदी स्वयं को राजभाषा के लिए सक्षम बना लेगी | संविधान निर्माताओं ने कार्य-संचालन के लिए अंग्रेजी को जारी तो रखा लेकिन उसे किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं किया था | मूल संविधान में अष्टम अनुसूची में 14 भाषाएँ थीं जो अब 22 हो चुकीं हैं और वर्तमान समय में 38 भाषाएँ[iv] इस सूची में शामिल होने हेतु प्रयासरत है | उस समय इसे चुनौती के रूप में नहीं बल्कि समन्वय के रूप में देखा गया था|

राजभाषा हिंदी की सक्षमता को प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद-344 में व्यवस्था की गयी कि राष्ट्रपति विशिष्ट समयावधि में आयोग गठित करेंगे और उनकी अनुशंसा पर हिंदी के विकास हेतु आवश्यक निर्देश जारी करेंगे | इसी से सम्बंधित संसदीय समिति का भी गठन किया गया जो आयोग की अनुशंसाओं का विश्लेषण कर राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करती थी | संविधान लागू होने के बाद 1955 तक भाषा संबंधित कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ | जून, 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना का कार्य हुआ जिसकी रिपोर्ट जुलाई, 1956 में सामने आई | इसमें हिंदी के साम्राज्यवादी और प्रभुत्वशाली छवि से उत्पन्न भय के परिवेश का जिक्र किया गया | "राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त आयोग के बंगला तथा तमिल भाषा सदस्यों – डॉ .सुनीति कुमार चटर्जी और डॉ .पी .सुब्बानारायण ने अपने विमत टिप्पणी में समन्वय अथवा मेल-जोल के दृष्टिकोण से अत्यंत दूर के विचार प्रकट किए | इनका यह दृष्टिकोण था कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को प्रतिस्थापित करने में जल्दी करने का परिणाम' अहिन्दी भाषा जनता पर हिंदी थोपना' होगा [v]"| इस स्थिति में समन्वय लाना तत्कालीन सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी 7 | अगस्त, 1959 को लोकसभा में दिए गए प्रधानमंत्री नेहरू के वक्तव्य से भी हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओँ का त्रिकोण सामने आ जाता है |वे समन्वित विचारों को अपनाते हुए कहते हैं कि अहिन्दीभाषी लोगों पर हिंदी थोपी नहीं जाएगी[vi] |

इसकी भूमिका में राज्यों के पुनर्गठन के परिवेश को भी देखा जाना चाहिए" | देश में विभाजन के बाद धर्म के आधार पर लोगों में दूरी बढ़ गयी थी और उसके बाद भाषाई आधार पर एक नई दूरी पैदा किये जाने के प्रति नेहरु अनिच्छुक थे | इनको इस मसले पर कांग्रेस के दो बड़े नेताओं बल्लभभाई पटेल और सी .राजगोपालाचारी का समर्थन हासिल था |[vii]"लेकिन भाषा में एकता और विभाजन की अद्भुद क्षमता होती है और इसी कारण कन्नड़, मराठी, मलयालम ,तेलुगु और कुछ हद तक पंजाबी भाषा भाषियों के आन्दोलन राज्य निर्माण के लिए होने लगे थे | भाषाई आधार पर राज्य गठन के लिए सबसे आक्रामक आन्दोलन तेलुगु भाषाभाषियों ने किया | श्रीरामलू की अनशन से मृत्यु के पश्चात् केंद्र सरकार को भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करना पड़ा | इससे तय था कि भाषाई अस्मिता के इन संघर्षों के अनुभवों से राजभाषा हिंदी की छवि को चुनौती मिलेगी और यह सत्य साबित हुआ | प्रथम राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर संसदीय समिति ने विचार कर 1959 की रिपोर्ट में कहा कि 1965 तक अंग्रेजी राजभाषा और हिंदी सह-राजभाषा के रूप में कार्य कर सकती है और उसके बाद हिंदी मुख्य राजभाषा होगी और अंग्रेजी सह-राजभाषा की स्थिति में चलती रहनी चाहिए | इसका अर्थ यह था कि अंग्रेजी अनिश्चितकाल तक सह-राजभाषा के रूप में बनी रहेगी | जब तक हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के लोग राजभाषा रूप में अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त करने के लिए सहमत न हो जाएँ तब तक इस संबंध में कोई सीमा रेखा नहीं होनी चाहिए[viii] | सह-राजभाषा होने पर भी उसका प्रभाव मुख्य से अधिक बना रहा | इस विचार का व्यवहारिक रूप त्रिभाषा सूत्र में दिखाई देता है | 1956 में केंद्रीय शिक्षा परामर्शदात्री परिषद् ने त्रिभाषा सूत्र का विचार सामने रखा जिसमें मातृभाषा ,हिंदी और अंग्रेजी की शिक्षा का प्रस्ताव था लेकिन 1966 तक यह बहस का मुद्दा ही बना रहा जब तक कि कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र को नए फार्मूले में नहीं बदल दिया | आयोग ने प्रथम भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा , द्वितीय केंद्र की राजभाषा) हिंदी (या सह-राजभाषा) अंग्रेजी (और तृतीय कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या कोई भी विदेशी भाषा का नया सूत्र दिया | इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी और अंग्रेजी एक ही विकल्प में मौजूद थीं और प्रतिस्पर्धी भी थीं | इस त्रिकोणीय स्थिति ने भारत में द्विभाषिकता के कभी न ख़त्म होने वाले युग का सूत्रपात किया | राजभाषा अधिनियम-1963 और

राजभाषा संकल्प-1968 में केंद्र सरकार ने हिंदी भाषा के प्रयोग और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत योजनाएं बनाई | राजभाषा) विधायी (आयोग-1960, केंद्रीय हिंदी निदेशालय-1960 ,वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग-1961 ,केंद्रीय हिंदी समिति-1967 ,केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो-1971 आदि संस्थाएं अस्तित्व में आईं और अंततः 1975 में राजभाषा विभाग अस्तित्व में आया | सभी हिंदी के प्रचार-प्रसार, प्रयोग और संवर्धन में कार्यरत हैं|

4. राजभाषा और रोजगार का सवाल :

राष्ट्रभाषा के परिप्रेक्ष्य में हिंदी लगभग निर्विरोध स्थिति में थी" | कांग्रेस के कानपूर अधिवेशन में सन 1925 में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि अपने सभी कार्यों में प्रादेशिक कांग्रेस कमेटियाँ ,प्रादेशिक भाषाओँ अथवा हिंदी) हिंदुस्तानी (का प्रयोग करें और अखिल भारतीय स्तर पर केवल हिंदी भाषा का प्रयोग हो | सम्पूर्ण देश में संचार की भाषा का दर्जा हिंदी को आज से 75 वर्ष पहले मिल गया था ,तभी इसे' राष्ट्रभाषा' शब्द से पुकारा जाता था | उस समय बंगाल ,तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्णाटक, आंध्र, केरल आदि सभी प्रदेशों के सदस्य इस प्रस्ताव के साथ थे और किसी ने भी हिंदी के लिए प्रयुक्त 'राष्ट्रभाषा 'शब्द पर आपत्ति नहीं की थी |[ix]"लेकिन स्वतंत्र भारत में जब राजभाषा के माध्यम से कामकाज की भाषा तय होती है तो यह सवाल रोज़गार से जुड़ जाता है |

प्रशासन, न्यायालय और शिक्षा आदि बड़े रोजगार के क्षेत्र की भाषा बहुभाषिक देश में किसी एक भाषा समूह के पक्ष में झुक जाए तो यह अन्य भाषाभाषियों के लिए एक बड़ी चुनौती थी" | अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में फैलाया गया यह भय बेबुनियाद नहीं था कि हिंदी की अनिवार्यता से हिंदी भाषी, अहिन्दी भाषी लोगों से नौकरियों में आगे निकल जायेंगे, बल्कि इसके पीछे तत्कालीन सरकार द्वारा दिया गया नारा था कि अंग्रेजी का स्थान हिंदी ले लेगी |[x]"इससे एक ऐसा भविष्य दिख रहा था जहाँ केवल हिंदी होगी और अन्य भारतीय भाषाओ का कोई स्थान नहीं होगा |

ऐसी ही परिस्थितियों और विचारों ने भारत के उस भाषाई परिवेश की नीवं रखी जिसे हम आज भी लगभग जी रहे हैं | पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि सक्षम भाषा की प्रतीक्षा हमें कब तक करनी होगी ? इसके लिए हमें अतीत में देखना होगा | जब किसी सैनिक ने रूसी भाषा में समाजवादी छवि को देखने का प्रयास किया तो जून ,1950 में जोसेफ स्तालिन ने' भाषाविज्ञान में मार्क्सवाद के बारे में 'नामक लेख में लिखा कि -"यह बात हर आदमी जानता है कि रूसी भाषा ने अक्टूबर क्रांति के पूर्व रूसी पूंजीवाद और रूसी पूंजीवादी संस्कृति का हितपोषण उसी प्रकार किया ,जिस प्रकार वह अब रूसी समाज की समाजवादी व्यवस्था और समाजवादी संस्कृति का कर रही है |[xi]"इस उदाहरण से भाषा के प्रयोगकर्ताओं की इच्छा और प्रयास दिखाई देते हैं न कि प्रतीक्षा | प्रयोग की स्थितियों में भाषा स्वयं ही उस आवश्यकताओं की पूर्ती करने लगती है जिसकी आवश्यकता होती है | भारत में भी आजाद भारत के सामने गाँधी जी द्वारा दिया गया विकल्प मौजूद था | गांधी जी ने' मेरे सपनों का भारत 'में कहा है कि "अगर मेरे हाथ में तानाशाही सत्ता हो तो मैं आज ही से विदेशी माध्यम के जरिए अपने लड़कों और लड़कियों की शिक्षा बंद कर दूँ और सारे शिक्षकों और प्रोफेसरों से यह माध्यम तुरंत बदलवा दूँ या उन्हें बर्खास्त करा दूँ | मैं पाठ्य पुस्तकों की तैयारी का इंतजार नहीं करूँगा |वे माध्यम के परिवर्तन के पीछे - पीछे चली आएगी |[xii]"लेकिन हिंदी को सक्षम बनाने की नीति अपनाई गयी और कहीं न कहीं हिंदी अनुवाद की भाषा बनती चली गई| हिंदी को सक्षम बनाने की प्रतीक्षा पर प्रो .अमरनाथ कहते हैं" -नतीजा जो होना था ,सामने है | दुनिया में न तो पहले कभी हुआ है और न हो सकता है कि भाषा का पहले विकास किया जाए ,बाद में उसकी प्रतिष्ठा हो |[xiii]"इन स्थितियों से साफ़ है कि आजादी के बाद के शुरूआती दशकों में ही भाषा का परिवेश और उसका भविष्य तय हो गया था | बहुत कुछ बदला है लेकिन तब से अब तक हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाएँ अपने सम्मान और पूर्ण कार्यक्षमता के लिए निरंतर संघर्ष कर रहीं हैं|

5. निष्कर्ष :

निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि आजादी के बाद हिंदी के परिवेश को प्रभावित करने वाले प्रमुख रूप से तीन पक्ष रहे हैं | पहला, विशिष्ट वर्ग में फलता-फूलता अंग्रेजी भाषा का प्रेम और परिणामस्वरूप रोजगार को अंग्रेजी केन्द्रित रखना, दूसरा, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण और उसके परिणामस्वरूप क्षेत्रवादी और भाषावादी राजनीति का उभार तथा तीसरा, हिंदी और भारतीय भाषाओँ में रोजगार के अवसर कम होते जाना और उसके परिणाम को अयोग्यता से जोड़ना | भारतीय भाषाओँ को ज्ञान और कौशल की भाषा न मानना | इसका असर कंप्यूटर और सूचना क्रांति के आने पर अधिक बढ़ा | भारतीय भाषाओँ की बड़ी उपभोक्ता संख्या ने भले ही रोजगार न उपलब्ध करा पाया हो पर भारतीय भाषाओँ मुख्यतः हिंदी को 'प्रस्तुति भाषा या उपभोग की भाषा, जो वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा न हो लेकिन प्रदर्शित हो' अवश्य बना दिया है | इस तरह साफ़ देखा जा सकता है कि भारतीय भाषाएँ बड़े उपभोक्ता वर्ग की भाषा होते हुए भी अनुवाद की भाषा भर बन कर रह गयीं | कुछ उत्साहजनक आंकड़े देख कर हम भाषा का विकास या प्रसार कह सकते हैं पर यह कितना सही है अध्ययन का विषय है | जब तक भाषा के सवाल को प्रथमतः रोज़गार के अवसर से नहीं जोड़ा जायेगा तब तक भारतीय भाषाओ के साथ न्याय नहीं होगा और न ही उनकी राजभाषा की भूमिका को सशक्त बनाया जा सकेगा | हालाँकि इस क्षेत्र में प्रयास भी देखने को मिलने लगे हैं | अब कई सरकारी आदेशों में हिंदी भाषा की शब्दावली को परिष्कृत करने के लिए भारतीय भाषाओँ को आधार बनाने पर बल दिया जा रहा है | इसके साथ ही नई शिक्षा नीति में भी शिक्षा की प्राथमिक अवस्था में ही सही मातृभाषा पर जोर दिया जा रहा है | हालाँकि एक ओर इन प्रयासों के प्रभाव को देखने के लिए हमें लगभग एक दशक प्रतीक्षा करनी होगी लेकिन दूसरी ओर इन

प्रयासों को सफल बनाने के लिए व भारतीय भाषाओँ के प्रति सामाजिक सोच-विचार में परिवर्तन लाने के लिए भाषा क्रांति की आवश्यकता को पूरा करना होगा |

संदर्भ सूची:

[i] गोपाल राय, हिंदी भाषा का विकास, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली (2020) पृष्ठ-195
[ii] बालशौरि रेड्डी, राष्ट्रभाषा हिंदी और महात्मा गांधी, राजभाषा हिंदी, प्रकाशन विभाग, दिल्ली (2000) पृष्ठ-26
[iii] वही, पृष्ठ-31-32
[iv] विस्तार हेतु देखें, डॉ. राजेश्वर उनियाल, अष्टम अनुसूची यानि हिंदी पर मंडराता खतरा, राजभाषा भारती, अंक-151 दिल्ली (2017) पृष्ठ-54
[v] ब्रजकुमार पाण्डेय, भूमंडलीकरण, भारत की भाषा समस्या और डॉ. लोहिया, वाक् (पत्रिका) अंक-3, (2007) पृष्ठ-104
[vi] विस्तृत जानकारी के लिए देखें, कृष्ण कुमार ग्रोवर, राजभाषा निति और कार्यान्वयन : संवैधानिक और संविधिक प्रावधान, राजभाषा हिंदी, प्रकाशन विभाग, दिल्ली (2000) पृष्ठ-68
[vii] रामचंद्र गुहा, भारत गांधी के बाद, पेंगुइन बुक्स, भारत (2011) पृष्ठ-228
[viii] गोपाल राय, हिंदी भाषा का विकास, राजकमल प्रकाशन (2020) पृष्ठ-220
[ix] विजेंद्र स्नातक, राष्ट्रभाषा हिंदी का स्वरूप, विकास तथा समस्याएँ, हिंदी अकादमी, दिल्ली (1968) पृष्ठ-9
[x] राकेश कुमार, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ बनाम अंग्रेजी, बनास जन (पत्रिका), अक्टूबर -दिसंबर (2014) पृष्ठ-28
[xi] जोसेफ स्तालिन, मार्क्सवाद और भाषाविज्ञान की समस्याएँ, परिकल्पना प्रकाशन, लखनऊ (2002) पृष्ठ-13
[xii] बालशौरि रेड्डी, राष्ट्रभाषा हिंदी और महात्मा गांधी, राजभाषा हिंदी, प्रकाशन विभाग, दिल्ली (2000) पृष्ठ-29
[xiii] अमरनाथ, हमारी भाषा नीति: कुछ अनसुलझे प्रश्न, जनपथ (पत्रिका), जनवरी-फ़रवरी (2011) पृष्ठ-84